कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 5468 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 08/06/2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत सूर्य मंदिर से बिसरा – कनैली होते हुए ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/16207/2015।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 882FP/UK/ROAD/16207/2015 दिनांक 29.09.2021।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 6520/12–1 दिनांक 31.05.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न– प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 6520 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 31-5- .2022

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद–अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत सूर्य मंदिर से बिसरा–कनैली होते हुए ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0 **FP/UK/ROAD/16207/2015**)

सन्दर्भ – कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक **882/FP/UK/ROAD/16207/2015** दिनांक **29.09.2021**।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा 5 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों में विषय सूची संलग्न नहीं की गयी है। विषय सूची पृष्ठ संख्या सहित संलग्न की जाए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों में विषय सूची संलग्न कर ली गयी है। विषय सूची पृष्ठ संख्या सहित संलग्न कर ली गयी है।
2	प्रस्ताव में एफ0आर0ए0 2006 के प्रपत्र/अभिलेख छायाप्रतियों में, जिनमें कतिपय पृष्ठ अपठनीय हैं, संलग्न किये गये हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। प्रस्ताव की मूल प्रति में एफ0आर0ए0 2006 की मूल प्रति संलग्न की जाए तथा शेष दो प्रतियों में प्रपत्रों की पठनीय सत्यापित प्रतियाँ संलग्न की जाए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में एफ0आर0ए0 2006 के समस्त पठनीय प्रपत्र/अभिलेख पृष्ठ संख्या 6 से 14 में संलग्न कर लिए गये हैं। पुनः प्रस्ताव की 4 सत्यापित प्रतियाँ प्रेषित की जा रही हैं।
3	प्रस्तावित मोटर मार्ग की वन्यजीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया जाए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग से वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 59 में संलग्न कर दिया गया है।
4	ग्राम पंचायत ढौरा तथा ग्राम पंचायत भैंसोड़ा के तोक कुन्यूड़ा के ग्राम सभा की अनापत्ति प्रमाण–पत्र की छाया प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं। मूल प्रति संलग्न की जाए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में ढौरा एवं भैसोड़ा ग्राम पंचायत की भूमि नहीं आती है एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग में कटारमल ग्रामवासियों की अनापत्ति पृष्ठ संख्या 64 में संलग्न कर दी गयी है।
5	प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के आर0सी0सी0 पिलरों से सीमांकन के प्रमाण–पत्र में लागू नहीं अंकित किया गया है। सीमांकन हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का प्राक्कलन एवं व्यय वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के आर0सी0सी0 पिलरों का प्राक्कलन एवं व्यय वहन किये जाने का प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 87 एवं 88 में संलग्न कर लिया गया है।

उक्त कार्यवाहियों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित पत्रांक 719/7 सी0 दिनांक 23.03.2022 की प्रति संलग्न है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Mahat

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।